भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं. ।।।/09/05/2013-सीशु नीति अंफा   दिनांक 18.07.2017

सार्वजनिक सूचना सं.: 11/2017

विषय : सेसटेट के सम्मुख अपील/आवेदन दायर करते समय वचनबंध दिया जाना है - के बारे में ।

आयातक/निर्यातक/व्यापार समूह का ध्यान उपरोक्त विषय पर सेसटेट द्वारा जारी परिपत्र सं 01(05)/परिपत्र/सेसटेट/2017 दिनांक 27.2.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

ऐसी घटनाऍं ध्यान में आई हैं कि पार्टी सेसटेट के सम्मुख अपील/आवेदन दायर करते समय अन्य मंच जैसे माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय से भी वैकल्पिक/ समसामयिक उपचार के लिए जाते है जिसकी सूचना, अपील/आवेदन आदि सेसटेट के सम्मुख दायर करते समय नहीं दी जाती है ।

अत: सभी संबंधित पार्टियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपील/आवेदन दायर करते समय, उन्हें सेसटेट मे सम्मुख दायर किए जानेवाले अपील आवेदन के साथ निम्मनलिखित फार्मेट में एक वचनबंध देना होगा ।

'मामला, माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय सहित किसी अन्य विधिक मंच के सम्मुख पहले दायर नहीं किया गया है /लंबित नहीं है ।

अपीलकर्ता/आवेदक आगे यह भी घोषणा करता है कि आक्षेपित आदेश के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी या ट्रिब्यूनल के बेंच के सम्मुख कोई अपील/रिट याचिका या मुकदमा पहले दायर नहीं किया है ।'

अशोक 18/07/2017
(अशोक)
आयुक्त

सेवा में,

1. मेलिंग सूची के अनुसार
2. आयुक्तालय की बैवसाइट ✓
3. सूचना बोर्ड, तिरुच्चि

प्रतिलिपि प्रस्तुत:
मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.